



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

दर्ज तिथि:-19.07.2023

वाद संख्या:- 2023 / 108

1. लाल मोहम्मद पुत्र अब्दुला जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)

.....वादी

बनाम

1. हसन मोहम्मद पुत्र भूरा जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
2. रफीक पुत्र मनीर जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
3. सावीर पुत्र मनीर जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
4. रजाक पुत्र मनीर जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
5. आमीन पुत्र मनीर जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
6. चान्दा पत्नी मनीर जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
7. जीलु पुत्र मनीर जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
8. फतेह मोहम्मद पुत्र भूरा जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
9. गुलाम मोहम्मद, पुत्र भूरा जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु
11. बिस्मिल्लाह पत्नी भूरा जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु तहसील व जिला चूरु

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री ऋषिराज सिंह शेखावत

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53

राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955



**: पर्चा डिक्री :**

दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा-53 बाबत तकसीम आराजी तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा संख्या 15/6.0576 हैक्ट. कुल किता 01 कुल तादादी 6.0576 हैक्ट. वाके गाजसर पटवार मण्डल रिडखला तहसील चूरु जिला चूरु मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरु को दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	लाल मोहम्मद पुत्र अब्दुला जाति नाई मुसलमान निवासी चूरु खातेदार	15 मी	2.0192	बारानी
		किता-1	2.0192	बारानी
2.	चान्दा पत्नि मनीर, आमीन साबीर जीलू रजाक रफीक पुत्र मनीर 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. समीम हुसन बानो जमीला हारून पुत्र भूरा 1/12 हिस्सा ब.हि.ब. हसन मोहम्मद पुत्र भूरा 1/8 हिस्सा गुलाम मोहम्मद फतेह मोहम्मद पुत्र भूरा 7/24 ब. हि.ब. जाति नाई सा. चूरु खातेदार	15 मी	4.0384	बारानी
		किता-1	4.0384	बारानी

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार- I) RAS  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु (चूरु)